न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,टोंक

(पीठासीन अधिकारीः नित्या के0, आई.ए.एस.)

प्रकरण सं0––136/2019

प्रविष्टि दिनांक – 25.11.2019

उनवान

1. मनफूल पुत्र रामनारायण जाति मीणा निवासी अरनियामाल तहसील व जिला टोंक राज0
2. हनुमान पुत्र रामनारायण जाति मीणा निवासी अरनियामाल तहसील व जिला टोंक राज0
3. उम्मेदकरण पुत्र रामनारायण जाति मीणा निवासी अरनियामाल तहसील व जिला टोंक राज0
4. दाखां बैवा रामनारायण जाति मीणा निवासी अरनियामाल तहसील व जिला टोंक राज0
5. रामप्रसादी पुत्री रामनारायण जाति मीणा निवासी अरनियामाल तहसील व जिला टोंक राज0
6. हजारी पुत्र नानगा जाति मीणा निवासी अरनियामाल तहसील व जिला टोंक राज0

–वादी/आवेदकगण

बनाम

1. राजेन्द्र पुत्र शोजी उर्फ श्योजीराम जाति मीणा निवासी अरनियामाल तहसील व जिला टोंक राज0
2. मनमोहन पुत्र शोजी उर्फ श्योजीराम जाति मीणा निवासी अरनियामाल तहसील व जिला टोंक राज0
3. सम्पत पुत्री शोजी उर्फ श्योजीराम जाति मीणा निवासी अरनियामाल तहसील व जिला टोंक राज0
4. समोदर पुत्री शोजी उर्फ श्योजीराम जाति मीणा निवासी अरनियामाल तहसील व जिला टोंक राज0
5. ग्यारसी देवी पत्नि स्व0 शोजी उर्फ श्योजीराम जाति मीणा निवासी अरनियामाल तह0 व जिला टोंक राज0
6. तहसीलदार टोंक तहसील व जिला टोंक राज0

–प्रतिवादीगण

उपस्थित– श्री देवी प्रकाश तिवाड़ी – अभिभाषक प्रार्थी
श्री अर्जुनलाल मीणा – पेराकार सरकार

उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज.)

निर्णय

आवेदन रास्ता दिलाये एवं नक्शा शीट में रास्ते की तरमीम किये जाने बाबत अन्तर्गत धारा–251 ए आरटीएक्ट

दिनांक – 19.02.2021

अधिवक्ता वादी/आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि भूमि आराजी खसरा नम्बर 1005 रकबा 30 बीघा 9 बिस्वा किस्म बारानी–1 वाके ग्राम अरनियामाल पटवार हलका अरनियामाल भू–अभिलेख निरीक्षक अरनियामाल तहसील व जिला टोंक में स्थित है, जो आवेदकगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे, काश्त की आराजीयात है, जिसका अंकन जमाबन्दी खाता संख्या नया 160 पुराना 144 जमाबन्दी सम्वत 2071–74 में दर्ज है। भूमि आराजी खसरा नम्बर 1008 रकबा 10 बीघा किस्म माल–2 वाके ग्राम अरनियामाल पटवार क्षेत्र अरनियामाल भू अभिलेख क्षेत्र अरनियामाल तहसील व जिला टोंक राजस्थान में स्थित है, जो प्रतिपक्षी संख्या 1 ता 5 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात है जिसका अंकन जमाबन्दी खाता संख्या नया 384 पुराना 295 जमाबन्दी सम्वत 2071–74 में दर्ज है। आवेदकगण की भूमि के पश्चित दिशा में प्रतिपक्षीगण की उक्त भूमि स्थित है। आवेदकगण अपनी उक्त खातेदारी की भूमि पर विगत 50–60 वर्षों से प्रतिपक्षीगण की उक्त भूमि में से होते हुए खसरा नम्बर 1010/1 के दक्षिण में एवं खसरा नम्बर 1010/2 के उत्तर में स्थित मेढ पर से होते हुए खसरा नम्बर 1013 गै0मु0 रास्ता जो कि अरनियामाल से लवादर जाता है, पर आते जाते है तथा अपने कृषि यंत्र व साधन लाते ले जाते है। उक्त रास्ता ही आवेदकगण की भूमि पर आने जाने का मुख्य रास्ता है। उक्त रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता आवेदकगण के पास अपनी भूमि पर आने जाने व उपयोग व उपभोग करने हेतु नही है। प्रतिपक्षीगण अब आवेदकगण को उनकी उक्त आराजीयात में आने जाने में अवरोध कारित करने लगे है तथा अकारण ही मौके पर विवाद करने लगे है। इस कारण आवेदकगण अपनी उपरोक्त आराजीयात में आने जाने हेतु प्रतिपक्षीगण की उक्त वर्णित आराजीयात खसरा नम्बर 1008 में से 30 फिट का रास्ता नियमानुसार प्राप्त करने के अधिकारी है। इस हेतु आवेदकगण नियमानुसार राशि भी राज्य सरकार को अदा करने को तैयार व तत्पर है। इस कारण श्रीमान के समक्ष यह आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है। आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि आवेदक का आवेदन स्वीकार किया जाकर आवेदकगण को अपनी कृषि आराजीयात खसरा नम्बर 1005 रकबा 30 बीघा 9 बिस्वा पर आने जाने एवं अपने कृषि यंत्रों व अन्य उपकरणों को लाने ले जाने हेतु खसरा नम्बर 1008 में से दक्षिण दिशा में स्थित खसरा नम्बर 1010/1 व 1010/2 में होते हुए मुख्य रास्ते खसरा नम्बर 1013 में आने हेतु 30 फिट का रास्ता मंजूर किया जावे तथा उक्तानुसार शीट में रास्ते की तरमीम कराई जावे और रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड में अभिलिखित किया जावे। इस हेतु नियमानुसार आवेदकगण शुल्क भी जमा कराने को तैयार व तत्पर है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिपक्षीगण की तलबी की गयी। अप्राथीगण 1 ता 5 ने जवाब दावा पेश कर विशेष आपत्तियों में निवेदन किया कि आवेदकगण का भूमि खसरा नम्बर 1005 के पास खसरा नं0 1012 स्थित है तथा खसरा नम्बर 1013 जो आम रास्ता है, उस पर सीधा रास्ता खसरा नम्बर 1012 में से होकर प्राप्त हो सकता है, परन्तु प्रार्थीगण प्रतिपक्षीगण को मात्र हैरान व परेशान करने तथा प्रार्थीगण की आराजीयात को कृषि से अकृषि में रूपान्तरित करवाकर प्रतिपक्षीगण को मानसिक हानि पहुंचाने की गर्ज से उक्त आवेदन पेश किया गया है। आवेदकगण आराजी खसरा नं0 1012 के पास आराजी खसरा नं0 1004 की मेर के पास से होकर सीधे खसरा नं0 1005 को खसरा नं0 1013 से आम रास्ता सीधा प्राप्त हो सकता है, परन्तु खसरा नं0 1012 के खातेदारों से मिलीभगत एवं साजिश होने के कारण आवेदकगण द्वारा खसरा नं0 1012 के खातेदारों की आराजीयात को नुकसान ना पहुंचाकर प्रार्थी प्रतिपक्षीगण के खसरा नं0 1008 पर बुरी नियत रखने के कारण तथा प्रतिपक्षीगण के हिस्से में आ रहा रास्ता खसरा नं0 1010/1 व 1010/2 को हड़पने की नियत से माननीय न्यायालय के समक्ष यह झूंठा आवेदन पेश किया है, जो मय हर्जा खर्जा खारिज किए जाने योग्य है। आवेदकगण द्वारा जो नक्शा ट्रेस उक्त आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है, उसे अगर माननीय न्यायालय मुलाहेज़ा फरमाये तो स्थिति स्पष्ट है कि खसरा नं0 1005 व आम रास्ता खसरा नं0 1013 के मध्य मात्र खसरा नं0 1012 में खसरा नं0 1004 की मेर से 30 फिट रास्ता लेना अत्यन्त आसान है। अतः जवाब आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिपक्षीगण का जवाब आवेदन स्वीकार फरमाया जाकर आवेदकगण का आवेदन मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रतिपक्षी संख्या 6 तहसीलदार टोंक ने जरिये पेरोकार सरकार जवाब पेश किया कि परिवाद में वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र संलग्न जमाबन्दी एवं नक्शा शीट का अवलोकन किया गया। मुताबिक रिपोर्ट आई0एल0आर0 के वादी के ख0नं0 1005 में आने जाने के लिए वाद पत्र में अंकित ख0नं0 1010/2 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा के पश्चिम भाग से होते हुए प्रतिवादीगण के ख0नं0 1008 की दक्षिणी मेड से होते हुए वादी उक्त खसरा नम्बरान में रास्ता चाहता है। मौके पर वर्तमान में ग्रेवल डालकर रास्ता वादी द्वारा ख0नं0 1010/2, 1008 में बना रखा है। अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य है।

प्रार्थीगण ने साक्ष्य दस्तावेज के रूप में नकल जमाबन्दी खाता संख्या 160 व 384 सम्वत 2071–74, नक्शाट्रेस, खसरा गिरदावरी सम्वत 2071–74 आदि पेश किये जो शामिल पत्रावली किये गये।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी। बहस के दौरान वकील वादीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया। जिसका यहा पृथक से उल्लेख नहीं किया जा रहा है। मुताबिक जवाब तहसीलदार टोंक वादी द्वारा चाहे गये रास्ते में मौके पर वर्तमान में ग्रेवल डालकर रास्ता वादी द्वारा ख0नं0 1010/2, 1008 में बना रखा है। अतः मुताबिक तहसीलदार टोंक रिपोर्ट यह न्यायालय आवेदन पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाना उचित समझता है।

आदेश

फलस्वरूप आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर आवेदकगण को उनकी खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 1005 रकबा 30 बीघा 9 बिस्वा किस्म बारानी–1 वाके ग्राम अरनियामाल पटवार हलका अरनियामाल भू–अभिलेख निरीक्षक अरनियामाल तहसील व जिला टोंक में आने जाने, कृषि यन्त्र, ट्रेक्टर, हल, कुली, ट्रोली आदि लाने ले जाने के लिए प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 5 की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 1008 में से दक्षिण दिशा में स्थित खसरा नम्बर 1010/2 में होते हुए मुख्य रास्ते खसरा नम्बर 1013 में आने हेतु 30 फिट का रास्ता दिये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त रास्ते को नक्शा शीट में प्रदर्शित करवाया जाये तथा राजस्व रिकार्ड में रास्ते के रूप में अंकित किया जावे। तहसीलदार टोंक को उक्तानुसार पालना कर, नियमानुसार कार्यवाही एवं नियमानुसार राशि आवेदक से वसूली कर, आवेदक को रास्ता दिया जाकर, राजस्व रिकार्ड मे अंकन कर पालना से अवगत करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर, दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 19/02/2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(नित्या के0)
उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज0)
उपखण्ड अधिकारी, टोंक